

समक्ष माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्यप्रदेश सर्किट कोर्ट रीवा म.प्र.



1. हरिहर प्रसाद पिता श्री हनुमान प्रसाद ब्रा.
 2. भगवान प्रसाद पिता श्री गोविन्द प्रसाद ब्रा.
 3. राजराखन पिता श्री पारसनाथ ब्रा.
 4. सूर्यप्रताप पिता श्री वासुदेव ब्रा.
 5. इन्द्रमणि प्रसाद पिता श्री आदित्य प्रसाद ब्रा.
 6. रामगोपाल पिता श्री जगन्नाथ ब्रा.
 7. राजनरायण पिता श्री शोभनाथ ब्रा.
 8. शिवदयाल पिता श्री भोलानाथ ब्रा.
- एवं समस्त भूमिस्वामी ग्राम मुरैठा थाना तह. हनुमना जिला रीवा (म.प्र.)
..... निगरानीकर्तागण

बनाम

1. मुकुन्दलाल पिता रामाधार हरिजन
 2. भाईलाल पिता रामाधार हरिजन
 3. छोटकवा पिता रामाधार हरिजन
 4. बृजलाल उर्फ बड़का पिता भुलारे हरिजन
 5. रामलाल पिता भुलारे हरिजन
 6. सूर्यलाल पिता भुलारे हरिजन
 7. छोटवा पिता चैतू हरिजन
 8. गाजी पिता छोटवा हरिजन
 9. किनकवा पिता छोटवा हरिजन
 10. रामउजागिर पिता विदेशी हरिजन
 11. विदेशी पिता छोटई हरिजन
 12. शंकरलाल पिता सुकपति हरिजन
 13. मिरई पिता पुसन हरिजन
 14. बलेश्वर पिता नाथू हरिजन
 15. ललई पिता नाथू हरिजन
 16. तिलकधारी पिता जग्गी कोल
 17. मुन्ना पिता सुखई कोल
 18. राजकुमार उर्फ छोटकउआ पिता सुखलाल कोल
 19. शोभनाथ पिता रामऔतार यादव एवं अन्य
- साकिम मुरैठा थाना तहसील हनुमना जिला रीवा (म.प्र.)
..... गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध प्रकरण क्र.
0014B121/017x018 आदेश दिनांक 17.05.2018
अनुविभागीय अधिकारी महोदय तहसील हनुमना
जिला रीवा म.प्र.
अन्तर्गत म.प्र.भू-राजस्व संहिता 1959 ई. की धारा
50 के तहत।

श्री शरद्वन्द्य
पेक्षा
16-7-18

कलक आर कोर्ट
राजस्व मण्डल मंत्रालय
(सर्किट कोर्ट) रीवा

Raf

173

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक..... निशं 4439 / 2018 / शिवा / भू-शां जिला शिवा

..... हरिहर प्रसाद विरुद्ध सुकुन्द लाल वर्मा

1

2

3

16-1-19- 1. आवेदक की ओर से श्री..... समनरेश शर्मा अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी तहसील..... हनुमन्ना के प्रकरण क्रमांक..... 0014 / B121 / 2017-18 में पारित आदेश दिनांक..... 17.05.18 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर..... शिवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 30.03.19 को कलेक्टर..... शिवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।

सदस्य